

मेरठ 2

सेना में

2019/00165

श.ग.पत्र 72/2019

दि. 27/01/19

शायद

13.9.19  
PEOP.S. 6/10/19

श्रीमान शिविर प्रभारी,  
महात्मा गांधी जमीनदाफे शिविर, मेरठ-उवाडा

विषय- जमा बंदी में दर्ज नाम में शुद्धीकरण इलाक़े का कर्त्त।

प्रति,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे खातेदारों में  
हैं नाम कालिया पुत्र गजा दर्ज है। मेरा खातेदार खाता  
संख्या 223, 578, 579, 63 है। जिसमें खाता सं. 63 में  
इस नाम कालुराम पुत्र गजाराम कुम्हार है। मुझे कालि  
य कालुराम नाम से धमकाया जाता है।

अतः श्रीमान मेरे खाते में से कालिया पुत्र गजा  
को नुचकर कालुराम पुत्र गजाराम कुम्हार कराने का  
आदेश करावे।

गणेश  
कालुराम गजाजी

दिनांक 13/09/19

मुझे श्रीमान की सेवा में पेश कर विवेक है कि मैंने  
मेरठ-उवाडा के खाता सं. 223, 578, 579 में पत्र खातेदार का नाम  
कालिया पुत्र गजा लपते कुम्हार के नाम दर्ज है। जबकि पत्राधिकारी का सही  
व वास्तविक नाम कालुराम पुत्र गजा लपते कुम्हार है। अतः  
निम्नानुसार शुद्धीकरण का आदेश पदान करावे।

OK  
16/9/19

भवदीय  
जि. 13-09-19  
पटवारी श्रुद्धा-मेरठ-उवाडा


राजस्थान - सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोंही

क्रमांक/भू०अ०/२०१९/१४५०

दिनांक - 23/9/19

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सिरोंही  
के विषय में उचित कर निवेदन है कि फरवरी २०१८  
में (मोडवाडा) की रिपोर्ट अनुसार जमीनी क्षेत्र कालूराम अग्राज्याजी  
जाति कुम्हार निवासी मेरमोडवा का मौजा मेरमोडवा  
की जमाबंदी के खाता संख्या 223, 570 व 579 में कालूराम  
के लान पर कालिया पुत्र गजा दत्त है। जबकि संलग्न खाता  
कार्ड, आकाशाह कार्ड, शशक कार्ड व जमाबंदी खाता सं. 63 के  
अनुसार सभी एवं शुद्ध नाम कालूराम पुत्र गजराज दत्त होगा  
चरिह। अतः मौजा मेरमोडवा के खाता सं. 223, 570  
व 579 के अंतिम नाम कालिया पुत्र गजा के लान पर  
कालूराम पुत्र गजराज नाम की सुद्धे अधिसूचना होने पर  
श्रीमान को विषय स्पष्ट पत्र है।


  
तहसीलदार (भू० अ०) सिरोंही

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोंही

क्रमांक/भू०अ०/२०१९/१२७९

दिनांक 26-9-2019

मूल ही तहसीलदार सिरोंही के नाम से पुलावापुर  
अनुसूचित पर भेजकर फेरवरी दिख जाना है कि  
पुलावा के लक्ष्मणराज राजेश्वर रेडडी वर्तमान जमाबंदी  
में शक्तिराम चालना सिपिरेड्डा न्यायस्य को  
लक्ष्मणराज के नाम पर उपखण्ड रूप से भेजवाने  
की व्यवस्था करें।

  
लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सिरोंही (राज०)